न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 78/2023 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1 कंचन पुत्र श्री लाला खटीक नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2 सीता पुत्री श्री लाला खटीक नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3 भैरू लाल पुत्र श्री लाला खटीक नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
4 श्रीमती नन्दू पत्नी श्री लाला खटीक नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

.... **प्रार्थीगण**

बनाम

1 श्रीमती सोहनी पत्नी श्री लादू लाल कलाल नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)
2 कान्ता पुत्री श्री लादू लाल कलाल नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)
3 कालू पुत्र श्री लादू लाल कलाल नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)
4 दुर्गा पुत्री श्री लादू लाल कलाल नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)
5 पारस पुत्री श्री लादू लाल कलाल नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)
6 बदाम पुत्री श्री कल्याण कलाल नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)
7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)

..... **अप्रार्थीगण**

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :::–

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान ——— प्रार्थीगण अधिवक्ता उप0
श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा अप्रार्थी अधिवक्ता संख्या 01 से 06 उप0
राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार हमीरगढ

<u>निर्णय</u>

दिनांक 8/01/2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) दिनांक 13.04.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण की ओर से निम्नानुसार प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व आधित्पय एवं कब्जे काश्त की सरहद पीपली पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 40 चालीस में अराजी नम्बर 1268 रकबा 0.5437 हैक्टयर भूमि जो कि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 01 एक में वर्णित आराजीयात में आने जाने का एकमत्र रास्ता जो कि भीलवाडा बैगू नैन रोड से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 की आराजी नम्बर 1264 मे जो कि राजस्व नक्शे में ——— दर्शा रखा है, जिससे होकर सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 1258 से होकर प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 1268 में आते जाते है, जिससे प्राथीगण अपने बैलगाडी, संज, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावाप्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजियात मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। यह है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है. इसके

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, पूर्व के खातेदारों द्वारा भी कभी भी उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा नही किया है। लेकिन विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 06 द्वारा हाल ही में नियत में फितुर पैदा होने व प्रार्थीगण की आराजियात को हड़प करने की गरज से आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा करने लग गया। जबकि विपक्षी राख्या 01 एक लगायत 06 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है व विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 06 को दिनांक 14 दिसम्बर 2022 दो हजार बाई को रास्ते में अदरोध पैदा नहीं करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इकार हो गये। यह है कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) ने दजे नहीं है। उक्त संस्था बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमायी जाकर के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) में दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षीगण को पांबद किया जावे कि उक्त रास्ते में अवरोध पैदा नहीं करे।

यह है कि उपरोक्त खातेदारों से प्रार्थीगण ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया परंतु हम अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाये है। जिससे उका प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई दिकल्प नहीं होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। यह है कि उक्त आराजी रारहद पीपली पटवार हल्का नीपली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला गीलवाडा (राज०) ने स्थित होने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से आप न्यायालय के समक्ष पेश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद पीपली पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) में प्राथीगण की आराजी नम्बर 1288 में आने – से जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि भीलवाड़ा बैगू मैन रोड से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 की आराजी नम्बर 1264 में जो कि राजरय नक्शे में ---- दर्शा रखा है, जिससे होकर सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 1258 से होकर प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में आते जाते है, को रास्ता से 2 गटा यानि साढे सोलह फीट नथा रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकर्ड (नक्शे में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे भुगतान करने के लिए हम सदेव तैयार है।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 की ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री दिनेश मण्डोवरा का पेश हुआ। न्यायालय द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के लिए तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार हमीरगढ ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम होकर इसमें किसी भी प्रकार की अतिरिक्त भूमि का क्षय नही हो रहा है। पक्षकारान रास्ते की भूमि के ऐवज में सहमति से रास्ता देने हेतु सहमत नही हुये है। अप्रार्थी की उतरी मेड पर स्थित खातेदारी आ0न0 1261 का पूर्व में ही रास्तेनुमा होकर रास्ते हेतु उपयोग में आ रही है। प्रार्थीगण द्वारा चाही गया रास्ता आ0 न0 1264 की दक्षिणी मेड पर ल0 गुणा चौ0 ($165*5m^2$) यानि रकबा 0.0831 है0 भूमि उपयोग में आयेगी जिसकी डीएलसी दर की दोगुनी राशि 66147/– रूपये बनती है एवं अप्रार्थी द्वारा जो रास्ता देने की सहमति बनी जिसमें आ0 न0 1261 रकबा 0.0759 है0 व आ0न0 1262 से ल0 गुणा चौ0 ($32*5m^2$) यानि 0.0160 है0 व आ0न0 1264 में से ($76*5m^2$) यानि 0.0379 है0 कुल रकबा 0.1298 है0 भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आयेगी जिसकी डीएलसी दर की दोगुनी राशि 103320/–रूपये बनती तहसीलदार द्वारा मौजा पीपली पटवार मण्डल पीपली भू–अभिलेख निरीक्षक मंगरोप जिला भीलवाडा स्थित अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 के खातेदारी आराजी संख्या आ0 न0 1261 रकबा 0.0759 है0 व आ0न0 1262 से ल0 गुणा चौ0 ($32*5m^2$) यानि 0.0160 है0 व आ0न0 1264 में से ($76*5m^2$) यानि 0.0379 है0 कुल रकबा 0.1298 है0 भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

अतः प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की भावना को देखते हुए प्रार्थीगण को न्यूनतम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है जिसके उपरान्त–

वकील प्रार्थी/अप्रार्थी ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्र्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:–

1. **रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है।**
2. **प्रार्थी के लिए सबसे निकटतम/सुगमतम मार्ग प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।**
3. **प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थी को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थी के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान में से 5 मीटर चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः मौजा पीपली पटवार मण्डल पीपली भू–अभिलेख निरीक्षक मंगरोप जिला भीलवाडा स्थित अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 के खातेदारी आराजी संख्या 1264 की दक्षिणी मेड पर (लम्बाई*चौड़ाई) (165*5m^2) रकबा 0.0831 है0 भूमि नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायपूर्ण मानता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा **पीपली पटवार मण्डल पीपली भू–अभिलेख निरीक्षक मंगरोप जिला भीलवाडा** स्थित **अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 के खातेदारी आराजी संख्या आ0 न0 1264 की दक्षिणी मेड पर (लम्बाई*चौड़ाई) (165*5m^2) रकबा 0.0831 है0** भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 **(आराजी संख्या 1264 के वर्तमान खातेदार)** के पक्ष में तहसील हमीरगढ में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0831 है0 मालियत राशि की **दो गुना राशि अथवा भूमि के बदले भूमि अदायगी कर दी** जावेगी/जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 8/1/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल, RAS)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला, भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ जिला भीलवाड़ा